भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2585
06.03.2020 को उत्तर के लिए

तेंदुओं की संख्या

2585. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री गजानन कीर्तिकर:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री बिद्युत बरन महतो:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में तेंदुओं की आबादी में तेजी से गिरावट आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तेंदुओं की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या हालिया अध्ययन के अनुसार भारत में उच्च आनुवंशिक विविधताओं सहित तेंदुओं की आबादी में 75 से 90 प्रतिशत की गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तेंदुओं की आबादी में इस तरह की गिरावट के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं;

(घ) क्या सरकार देश में बाघों की तर्ज पर तेंदुओं के संरक्षण में निवेश करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या घास के मैदान/गुल्म भूमि में भारी कमी और अवैध शिकार/अवैध रूप से मारा जाना तेंदुओं की घटती संख्या के लिए मुख्य कारण हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में तेंदुओं के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) जी नहीं।

(ख), (ग) और (ड.) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून से प्राप्त सूचना के अनुसार, हाल ही में फरवरी, 2020 में जर्नल पीअर-जे में प्रकाशित लेख में गत 120-200 वर्षों में भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न वास - स्थलों में तेंदुओं की संख्या में आई कमी (75-90% के बीच) का उल्लेख किया गया है न कि हाल ही में तेंदुओं की संख्या में आई कमी का उल्लेख किया गया है।

तथापि, इस अध्ययन में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस अध्ययन में तेंदुओं के लिए पाई गई कमी की व्यापकता, उपमहाद्वीप में कुछ पहले किए गए तेंदुओं के संबंध में अध्ययन से विरोधाभासी हैं। (उदाहरण के लिए हरिहर, पांडव और गोयल द्वारा किए गए पारिस्थितिकी कार्य, 2011 और दत्ता और अन्य द्वारा किए गए आनुवंशिक कार्य, 2013) जो स्थानीय तेंदुओं की आबादी में स्थिर या बढ़ती हुई संख्या के रूझान का सुझाव देते हैं। इस अध्ययन में आगे यह भी उल्लेख किया गया है कि वे तेंदुओं की आबादी से संबंधित डाटा के साथ उनकी आबादी में आई कमी को संपुष्ट करने और समर्थन देने में असमर्थ थे।

(घ) और (च) देश में तेंदुओं के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नवत हैं :

i. तेंदुओं को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-। में सूचीबद्ध करके उन्हें शिकार से उच्चतम दर्जे की विधिक सुरक्षा प्रदान की गई है।

ii. बेहतर सुरक्षा के लिए वन्यजीवों जिनमें तेंदुए शामिल हैं, के महत्वपूर्ण वास-स्थलों को राष्ट्रीय उद्यानों / अभयारण्यों के रूप में नामोदिष्ट किया जाता है।

iii. तेंदुओं सहित वन्यजीवों और उनके वास-स्थलों को बेहतर सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए 'वन्यजीव वास-स्थलों का विकास' की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

iv. तेंदुए अपने वास-स्थल में सह-परभक्षी होते हैं और भारत में तेंदुओं के अधिकांश वास-स्थल, बाघ रिजर्वों के भी भाग हैं। बाघों और तेंदुओं सहित अन्य पशुओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए 'बाघ परियोजना' की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत बाघ रिजर्वों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

*****